राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1585 दिनांक 10/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व वाद सं. 206/2011 अनवान मगा बनाम तोगाराम वगैरा में पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 28-6-17 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम आर.ए.एस.***

1.मगा पुत्र भेरा 2.भेरा पुत्र तिलोका जाति जाट, निवासी दीनगढ़ तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

1.तोगाराम पुत्र सालूराम जाति जाट निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन। 2. तहसीलदार चौहटन।

वाद बाबत 188, RT Act.

मुकदमा नं. 206/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री फताराम गोदारा** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री नरेश भादू** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा दीनगढ़, तहसील चौहटन के खसरा सं. 54 रकबा 71.06 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** ....

बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसागत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.6.17 को जारी की गई।

दस्तखत..........

मुहर

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 206/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण– 1.मगा पुत्र भेरा 2.भेरा पुत्र तिलोका
जाति जाट, निवासी दीनगढ़
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.तोगाराम पुत्र सालूराम जाति जाट
निवासी दीनगढ़, तहसील चौहटन।
2. तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री फताराम गोदारा**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री नरेश भादू**

निर्णय

दिनांक :– 28/6/17

वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत खसरा सं. 54 रकबा 71.06 बीघा का मौजा दीनगढ़ तहसील चौहटन में आया हुआ है। जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी सं. 1 जो वादी का पड़ोसी खातेदार है। वादी की भूमि को हड़प करने की नियत से बिना वैधानिक कानूनी प्रक्रिया अपनाये वादी को बेदखल करने व कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करके पक्का निर्माण, कृषि कार्य करने एवं सेढ़ों को तोड़ कर खेत में घूसने हेतु उतारू है। इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त में प्रतिवादी सं. 1 वादी के खेत खसरा सं. 54 रकबा 71.06 बीघा भूमि में कोई पक्का निर्माण आदि नहीं करे, कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करे। इस हेतु प्रतिवादी सं. 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त । प्रतिवादीगण को जवाब पेश करने के अवसर दिये गये। प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

जवाब नहीं देना चाहते है इसलिए उनका जवाब बन्द किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री नरेश भादू ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश किया। जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। वकील वादी को प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का स्वीकार किये जाने पर कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सं. 1 का जवाब पेश किया गया। तनकीयात अलग से कायम की जाकर पत्रावली शामिल की गई। वादी वकील द्वारा दस्तावेजों में मौका फर्द खेत खसरा सं. 861/55 मौजा दीनगढ़ तथा जमाबन्दी नकल खसरा सं. 861/55 मौजा दीनगढ़ न्यायालय में पेश की।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प बिसारणिया में दिनांक 28.06.17 को पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित हुए। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **दीनगढ़, तहसील चौहटन के खसरा सं. 54 रकबा 71.06 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार चौहटन को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प बिसारणिया मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन